राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर–313001
Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no..0294-2418137

क्रमांक एफ 5 (105/ओ.एफ.सी.) मुवसं/एफसीए/2023–24/ 2048 दिनांक – 20/03/24

निमित,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber Gujrat border in Udaipur North Forest Division. Proposal No. FP/RJ/OFC/150256/2021

संदर्भ :– आपका पत्रांक 2296 दिनांक 04.07.2022 एवं राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प 1(67) वन/2022 दिनांक 24/06/2022 के क्र में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांकः प 1(67)वन/2022 दिनांक 24/06/2022 से प्रकरण में जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति की **बिना वृक्षों के पातन सहित** बिन्दुवार पालना रिपोर्ट चाही गई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर) द्वारा उनके पत्रांक एफ () सर्वे–एफसीए/उवसं–उत्तर/2021–22/2062 दिनांक 18.03.2024 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

अतः उप वन संरक्षक से प्राप्त पालना प्रतिवेदन एवं भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय की सहमति के साथ मूल ही 3 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है:–

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार [illegible] संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु [illegible]द्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

Signature valid
Digitally signed by Sunil Chidri
Designation : Conservator Of Forest
Date: 2024.03.20 12:42:31 IST
Reason: Approved

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है। Signature valid Digitally signed by Suni Chidri Designation: Conservator Of Forest Date: 2024.03.20 12:42:31 IST Reason: Approved
11	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित

	सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र.– महानगर टाइम्स एवं अंग्रेजी समाचार पत्र – The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतिया संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।(मूल ही 3 प्रतियों में)

भवदीय,

(सुनील चिद्री भा.व.से.)
मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

क्रमांक एफ 5 (105/ओ.एफ.सी.) मुवसं/एफसीए/2023–24/ दिनाक –
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है–
1–उप वन संरक्षक, उदयपुर(उत्तर) को उनके पत्रांक 2062 दिनांक 18.03.2024 के कम में।
2–टेलीसोनिक नेटवर्क लिमिटेड, जयपुर।

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Sunil Chidri
Designation : Conservator Of Forest
Date: 2024.03.20 17:42:31 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)

राजकीय मुद्रणालय के पास, गुलाब बाग रोड, उदयपुर–313001
email: dcf.udprn.forest@rajasthan.gov.inTel. no. & Fax no. 0294-2421962

क्रमांक एफ( )सर्वे–एफसीए/उवस–उत्तर/2021–22/ 2062 दिनांक 18/03/2024

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

1290
19/3/24

विषय – Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber Gujrat border in Udaipur North Forest division Proposal No. FP/RJ/OFC/150256/2021 By Telsonic Networks Limited की पालना रिपोर्ट प्रेषित करने बाबत।

संदर्भ – राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प 1(67) वन/2022 दिनांक 24.06.2022 एवं युजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक नील दिनांक 13.03.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम मे निवेदन है कि राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत धारा–2 मे ओ.एफ.सी. केबल हेतु 0.606 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु पत्र क्रमांक प 1(67)वन/2022 दिनांक 24.06.2022 से **टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर** के पक्ष मे आलोच्य प्रकरण मे सैद्धान्तिक स्वीकृति **बिना वृक्षों के पातन सहित** जारी की गई जिसकी बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है –

क्र.सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण का इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण का इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। प्रयोक्ता अभिकरण का इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावे। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावे। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगें। प्रयोक्ता अभिकरण का इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण का इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। प्रयोक्ता अभिकरण का इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता अभिकरण का इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। प्रयोक्ता अभिकरण का इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। प्रयोक्ता अभिकरण का इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र– महानगर टाइम्स एवं अंग्रेजी समाचार पत्र – The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतिया संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

संलग्न– 04 पालना पत्रावली

भवदीय

(अजय चित्तोडा)
I.F.S.
उप वन संरक्षक,
उदयपुर (उत्तर)

क्रमांकः एफ( )सर्वे/उवसं–उत्तर/2021–22/ दिनांकः

प्रतिलिपीः– टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
उदयपुर (उत्तर)

सेवा में,

दिनांक: 13/03/2024

श्रीमान उप वन संरक्षक,
उदयपुर उत्तर ।

विषय :– Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber Gujrat border in Udaipur North Forest division Proposal No. FP/RJ/OFC/150256/2021 By Telsonic Networks Limited की पालना रिपोर्ट प्रेषित करने बाबत्।

संदर्भ :– राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांकः प 1(67) वन/2022 दिनांक 24/06/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि **टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर** के पक्ष में आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति **बिना वृक्षों के पातन सहित** बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:–

क्र.सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एव जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके सरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।	प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता सलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

18/3/24

9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण मे जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र.– महानगर टाइम्स एव अंग्रेजी समाचार पत्र – The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतिया संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतिया स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

Place: Jaipur

Date : 13-03-2024

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 01

Full title of the Project : Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber Gujrat border in Udaipur North Forest division

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150256/2021

Date of Proposal : 21-12-2021

Diversion Area : 0.606 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा **Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber** के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur
Date : 13-03-2024

For Telesonic Networks Limited

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

उपवन संरक्षक
उदयपुर (उत्तर)

Condition No. 02

Full title of the Project: Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150256/2021

Date of Proposal : 21-12-2021

Diversion Area : 0.606 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा **Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber** के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur
Date : 13-03-2024

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

उप वन संरक्षक
उदयपुर (उत्तर)

Condition No. 03

Full title of the Project: Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150256/2021

Date of Proposal : 21-12-2021

Diversion Area : 0.606 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा **Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber** के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur
Date : 13-03-2024

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

उप वन संरक्षक
उदयपुर (उत्तर)

Condition No. 04

Full title of the Project: Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150256/2021

Date of Proposal : 21-12-2021

Diversion Area : 0.606 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा **Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber** के दौरान प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Date : 13-03-2024

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

उप वन संरक्षक
उदयपुर (उत्तर)

Condition No. 05

Full title of the Project: Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150256/2021

Date of Proposal : 21-12-2021

Diversion Area : 0.606 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा **Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber** के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Date : 13-03-2024

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

उप वन संरक्षक
उदयपुर (उत्तर)

Condition No. 06

Full title of the Project: Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150256/2021

Date of Proposal : 21-12-2021

Diversion Area : 0.606 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा **Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber** के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Date : 13-03-2024

उप वन संरक्षक
उदयपुर (उ.प्र.)

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No.07

Full title of the Project: Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150256/2021

Date of Proposal : 21-12-2021

Diversion Area : 0.606 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा **Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber** के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Date : 13-03-2024

उप वन संरक्षक
उदयपुर (उत्तर)

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No.08

Full title of the Project: Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150256/2021

Date of Proposal : 21-12-2021

Diversion Area : 0.606 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा **Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber** के दौरान वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Date : 13-03-2024

उप वन संरक्षक
उदयपुर (उत्तर)

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 09

Full title of the Project: Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150256/2021

Date of Proposal : 21-12-2021

Diversion Area : 0.606 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा **Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber** हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न कर प्रस्तुत है।

Place: Jaipur

Date : 13-03-2024

उपवन संरक्षक
उदयपुर (उत्तर)

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 10

Full title of the Project: Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150256/2021

Date of Proposal : 21-12-2021

Diversion Area : 0.606 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड़, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Date : 13-03-2024

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

उप वन संरक्षक
उदयपुर (उत्तर)

Condition No. 11

Full title of the Project: Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150256/2021

Date of Proposal : 21-12-2021

Diversion Area : 0.606 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि **Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELSSONIC CONNECTIVITY in Samoli, near Sei Nadi, Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber** भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी सैंद्वान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र.– **महानगर टाइम्स** एवं अंग्रेजी समाचार पत्र – **The Indian Express** में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतिया संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

Place: Jaipur
Date : 13-03-2024

उप वन संरक्षक
उदयपुर (उत्तर)

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Form-1
(For Linear Projects)
Government Of Rajasthan
Office Of The District Collector Udaipur

No. F.39/1( )Rev/Fra/2024/ 548-50 Date: - 12.03.2024

To Whom So Ever It May Concern

In Compliance Of Ministry Of Environment And Forests (Moef). Government Of India's Letter No.11-9/98-Fc (Pt) Dated 3rd August 2009 Wherein The Moefissued Guidelines On Submission Of Evidence Of Having Initiated And Completed The Process Of Settlement Of Rights Under The Scheduled Tribes And Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act. 2006(Fra' For Short) On The Forest Land Proposed To Be Diverted For Non-Forest Purposes Read With Moef's Letter Dated 5 February 2013 Where In Moef Issued Certain Relaxation In Respect Of Linear Projects. It Has Been Certified That A Total **Area 0.6060 Hectares** Of Forest Land Is Proposed To Be Diverted In Favor Of **Telesonic Networks Limited Jaipur Laying Of Underground Optical Fiber Cable For Village Khapa, Aadavela, Kukuwas, Bakhel, Kodarmal, Kagwas, and Gura Sub Division Kotra District Udaipur** (Purpose For Diversion Of Forest Land) For Laying Optical Fiber Cable In Line Comes Under The Jurisdiction Of **kotra Tehsil.**

It Is Further Certified That: -

(a) The Complete Process For Identification And Settlement Of Rights Under The Fra Has Been Carried Out For The Entire **0.6060 Hectares** Of Forest Area Proposed From The From **Gram Panchayat Kukuwas, Bakhel, Kodarmal, Kajuria, and Gura**.

(b) A Copy Of Records Of All Consultations And Meeting Of The Forest Rights Committee (S) Gram Sabha (S) Sub-Division Level Committee (S) And The District Level Committee Are Enclosed As Annexure.

(c) The Diversion Of Forest Land For Facilities Managed By The Government As Required Under Section 3(2) Of The Fra Have Been Completed And The Gram Sabhas Have Given Their Consent To It.

(d) The Proposal Does Not Involve Recognized Rights Of Primitive Tribal Groups And Pre- Agricultural Communities.

Encl:- As Above

(Arvind Kumar Poswal)
District Collector,
Udaipur

Copy Forward To-

1. D.C.F. Udaipur.
2. S.D.M. kotra.
3. Telesonic Networks Limited.Jaipur .

District Collector,
Udaipur

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

–: बैठक कार्यवाही विवरण :–

मैसर्स टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड द्वारा **अण्डर ग्राउण्ड आफटिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु आ रही 0.6060 हेक्टयर वन भूमि का एफ.आर ए. प्रमाण पत्र** जारी करने के संबध में आज दिनांक 06.03.2024 को जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

उपखण्ड क्षेत्र कोटडा मे ग्राम खापा मे 0.1860 हेक्टयर, आडावेला मे 0.1500 हेक्टयर, कुकावास मे 0.0500 हेक्टयर, बाखेल मे 0.0300 हेक्टयर, कोदरमाल मे 0.0600 हेक्टयर, कागवास मे 0.0800 हेक्टयर एंव गुरा मे 0.0500 हेक्टयर वन भूमि **कुल 0.06060** हेक्टयर भूमि मे **अण्डर ग्राउण्ड आफटिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु** प्रभावित होने वाली वन भूमि के संबध में उपखण्ड अधिकारी कोटडा से प्राप्त प्रस्ताव जिसमे ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 एवं Forest (conservation) Act,1980 के तहत सभी सदस्यों ने प्रकरण का वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे अवलोकन एंव परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि प्रस्तावित वन भूमि के अधीन कोई व्यक्तिगत वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में वन क्षैत्र मे कोई व्यक्तिगत दावा विचाराधीन है।

तदनुसार उपखण्ड कोटडा में ग्राम खापा, आडावेला, कुकावास, बाखेल, कोदरमाल, कागवास, गुरा मे **मैसर्स टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड द्वारा अण्डर ग्राउण्ड आफटिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु** जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशषा की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	उपखण्ड का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं.	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि	वन अधिकार पत्र जारी / दावा स्वीकृत / विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1	अण्डर ग्राउण्ड आफटिकल फाईबर लाईन बिछाने	कोटडा	खापा 259 / 12	कुकावास	0.2160	नहीं	ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित ग्राम सभा की सूची संलग्न एव उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक विवरण
			आडावेला 902 / 1	कुकावास	0.1500	नही	
			कुकावास 2	कुकावास	0.0500	नही	
			बाखेल 1762 / 248	बाखेल	0.0300	नही	
			कोदरमाल 1009 / 815	कोदरमाल	0.0600	नही	
			कागवास 228 / 8	खजुरिया	0.0800	नही	
			गुरा 1216 / 779	गुरा	0.0500	नही	
			योग		0.6060		

उप वन संरक्षक,(N) उदयपुर

अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर

उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

जिला कलक्टर, उदयपुर

श्रीमती नवली गमेती, जिला परिषद सदस्य, उदयपुर

श्री विजयराम, जिला परिषद सदस्य, उदयपुर

(श्री पुष्कर तेली) उप जिला प्रमुख, जिला परिषद, उदयपुर

भीम

औपचारिक योजना

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (67) वन/2022

जयपुर, दिनांक:- 24 JUN 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY in Samoli, Near Sei Nadi,Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber Gujrat Border in Udaipur North Forest Division. (FP/RJ/OFC/150256/2021)

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 (OFC)2021/एफसीए/प्रमुवस/1931 दिनांक 06.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Telesonic Networks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु **0.606** हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एव नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY in Samoli, Near Sei Nadi,Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber Gujrat Border in Udaipur North Forest Division की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।
4. प्रत्यावर्तित क्षैत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षैत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी परिवर्ती भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या- 0141-2227762
Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. **प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।**
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बी. प्रवीण)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अपर वन महानिदेशक–वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी–ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
5. जिला कलेक्टर, उदयपुर।
6. उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)
7. Telesonic Networks Limited K-21 Sunny house, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur.
8. रक्षित पत्रावली।

(लखन सिंह)
विशेषाधिकारी, वन

कार्यालय पता:– वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या– 0141–2227762
Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

Form-1
(For Linear Projects)
Government Of Rajasthan
Office Of The District Collector Udaipur

No. F.39/1()Rev/Fra/2024/ 548-50 Date: - 12.03.2024

To Whom So Ever It May Concern

In Compliance Of Ministry Of Environment And Forests (Moef) Government Of India's Letter No.11-9/98-Fc (Pt) Dated 3rd August 2009 Wherein The Moefissued Guidelines On Submission Of Evidence Of Having Initiated And Completed The Process Of Settlement Of Rights Under The Scheduled Tribes And Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act. 2006(Fra' For Short) On The Forest Land Proposed To Be Diverted For Non-Forest Purposes Read With Moef's Letter Dated 5 February 2013 Where In Moef Issued Certain Relaxation In Respect Of Linear Projects. It Has Been Certified That A Total **Area 0.6060 Hectares** Of Forest Land Is Proposed To Be Diverted In Favor Of **Telesonic Networks Limited Jaipur Laying Of Underground Optical Fiber Cable For Village Khapa, Aadavela, Kukuwas, Bakhel, Kodarmal, Kagwas, and Gura Sub Division Kotra District Udaipur** (Purpose For Diversion Of Forest Land) For Laying Optical Fiber Cable In Line Comes Under The Jurisdiction Of **kotra Tehsil.**

It Is Further Certified That: -

(a) The Complete Process For Identification And Settlement Of Rights Under The Fra Has Been Carried Out For The Entire **0.6060 Hectares** Of Forest Area Proposed From The From **Gram Panchayat Kukuwas, Bakhel, Kodarmal, Kajuria, and Gura**.

(b) A Copy Of Records Of All Consultations And Meeting Of The Forest Rights Committee (S) Gram Sabha (S) Sub-Division Level Committee (S) And The District Level Committee Are Enclosed As Annexure.

(c) The Diversion Of Forest Land For Facilities Managed By The Government As Required Under Section 3(2) Of The Fra Have Been Completed And The Gram Sabhas Have Given Their Consent To It.

(d) The Proposal Does Not Involve Recognized Rights Of Primitive Tribal Groups And Pre- Agricultural Communities.

Encl:- As Above

(Arvind Kumar Poswal)
District Collector,
Udaipur

Copy Forward To-

1. D.C.F. Udaipur.
2. S.D.M. kotra.
3. Telesonic Networks Limited Jaipur .

District Collector

Scanned with OKEN Sca

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांक एफ. 14(OFC)2021 / एफसीए / प्रमुवस / 2296 दिनांक 4/7/22

मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर।

विषय:– Diversion of 0.606 ha . of forest land in favour of TELESONIC NETWORKS LIMITED for Loying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY in Samoli , Near Sei Nadi , Tin Sara , Kagwas , Subra Subri , Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber Gujrat Border in Udaipur North Forest Division . (Proposal no. FP/RJ/OFC/150256/2021)

सन्दर्भ:–राज्य सरकार का पत्रांक प. 1(67)वन / 2022 दिनांक 24.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में संबंधित उप वन संरक्षक एव यूजर एजेंसी से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

यहां उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जमा की जाने वाली राशि ई–चालान से ऑनलाईन जमा करायी जावें।

इसके अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7–23 / 2012–एफसी दि. 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्णय दि. 7.11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवाये, **साथ ही आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं होने देना सुनिश्चित करावें।**

संलग्न:–उक्तानुसार।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक. एफ. 14(OFC)2021 / एफसीए / प्रमुवसं / 2297-98 दिनांक 4/7/22

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर)।
2. Telesonic Networks Limited K-21 Sunny House, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur

संलग्न:–उक्तानुसार।

(भवानी सिंह)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

D:\Dhanendra Computer Office Data\Office documents\New Folder\...

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटडा, जिला उदयपुर (राजस्थान)

क्रमांक बैठक / 2022 / 67A दिनांक 01/02/2023

बैठक कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 8ढ/ / राज / 06 / 22 / 2015 / एफ.सी / 203 दिनांक 02 / 06 / 2015 एवं राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3) के पत्र क्रमांक प.6(14) प्रसु / अनु- 3 / 2008 (7) दिनांक 14.03.2008 की अनुपालना में आज दिनांक 28.10.2022 को उपखण्ड अधिकारी कोटडा की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत नि

1. उपखण्ड अधिकारी,कोटडा।
2. क्षेत्रिय वन अधिकारी,कुकावास।
3. विकास अधिकारी कोटडा।
4. पचायत समिति सदस्य,कोटडा।

इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण विचारार्थ रखे गये।

1. वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते 0.606 ha- of forest land in favour of TELESONIC NETWORK LITMITED for laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY in samoli; near sei Nadi, Tin sara; Kagvas Subara subri; savan ka kyara to near Guda and Mamer to bhoori Dhebar Gurat Border in Udaiour North Forest Division (proposal no.-FP/ RJ/ OFC/ 150256/2021)

प्रस्ताव का विवरण :–

उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते 0.606 ha- of forest land in favour of TELESONIC NETWORK LITMITED for loying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY in samoli; near sei Nadi,Tin sara;Kagvas;Subara subri;savan ka kyara to near Guda and Mamer to bhoori Dhebar Gurat Border in Udaiour North Forest Division (proposal no.-FP/RJ/OFC/150256/2021) ओएफसी ऑप्टिकल केबल बिछाने वाली भूमि के विवरण निम्नानुसार है:

For Th... Limited

Authorised Signatory

Scanned with OKEN Scanne

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत [illegible] पर कोई दावे लम्बित नहीं है। अतः बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने [illegible] द्वारा लम्बित नहीं होने के कारण अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2008 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि के लिए उक्त वर्णित 0.606 हैक्टेयर फारेस्ट भूमि पर ओएफसी आप्टिकल केबल बिछाने के लिये सर्वसम्मति से नियमानुसार अनुशंषा की है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि पर ओएफसी आप्टिकल केबल बिछाने के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा संबंधित खातेदार/काश्तकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने की शर्त के आधार पर रक्षित वन क्षेत्र में सम्बन्धित विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अभिशंषा की जाती है।

अतः उक्त प्रस्ताव संख्या-1 भूमि पर ओएफसी आप्टिकल केबल बिछाने के लिए संबंधित विभाग द्वारा संबंधित खातेदार/काश्तकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने की शर्त के आधार पर रक्षित वन क्षेत्र में संबंधित विभाग द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परमपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अभिशंषा की जाती है।

प्रस्तावित वनभूमि :– 0.606 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
कोटडा (जिला उदयपुर)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कुंवाबास

विकास अधिकारी
पंचायत समिति कोटड़ा
कोटडा

अनिता देवी
पंचायत समिति सदस्य
वार्ड नं.-10
पं.स. कोटड़ा जि. उदयपुर (राज.)

होमाराम
पंचायत समिति सदस्य
कोटडा
होमा राम रौत
पंचायत सदस्य, वार्ड
पं.स.-कोटड़ा, जि.-उदयपुर

For T[illegible] Limited
Authorised Signatory

Scanned with OKEN Scanne

राजस्थान सरकार

कार्यालय ग्राम पंचायत मामेर

पंचायत समिति कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

सरपंच
मिरखा राम गमार
मो. नं. 9571082534
निवास : ग्रा. पं. मामेर, पं. सं. कांटडा, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक : 502/GP/mamer 2022 दिनांक : 03/11/2022

अनापत्ति प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्रा.पं. मामेर के परिक्षेत्र मे मेसर्स टेलीसोनिक नेटवर्क लि. को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल्स साईबर लाईन बिछाने हेतू अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी कर मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत लिमिटेड द्वारा लाईन बिछाई जाती है तो ग्रा. पं. मामेर को कोई आपत्ति नही है।

अतः यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

राजस्व गाँव (1) मामेर
(2) भुरिटेवर
(3) लुणा

दि. 03/11/22
स्थान - मामेर

मिरखा राम गमार
सरपंच
ग्राम पंचायत-मामेर
पं.स. कोटडा, जिला उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक 03.11.2022 को ग्रा. पं. स. में समिति मुख्यालय पर जनसुनवाई बैठक का आयोजन किया गया।

जनसुनवाई कार्यक्रम में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए -

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	श्री मिरखाराम जी	सरपंच	मिरखाराम
2	किशन महावर	V.D.O	किशन
3	दिलीप कुमारी रावत	प.सहायक	प.राज
4	गौरा कुमारी डाबी	प.सहायक	प.राज गौराकुमारी

मिरखाराम
मिरखा राम गमार
सरपंच
ग्राम पंचायत-गमेर
पं.स. कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanne

जन अभियोग निराकरण विभाग जयपुर

ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कैम्प दिनांक 03.11.2022

ग्राम पंचायत - मोमिर पं.स. कोटपूतली, जिला - जयपुर

सुनवाई स्थान एवं दिनांक	प्राप्त एवं निस्तारित परिवेदनाएं				निस्तारित में प्रमुख शिकायतों की संख्या सहित विवरण	टेलीफोनिक नेटवर्क अथवा अन्य आपरेशनल कारणों से लाइन एवं अन्य अवस्थापना प्रभावित
(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
पं.स. कोटपूतली मोमिर 03.11.2022	1	0	1		विद्युत विभाग - ग्राम में लाइट व्यवस्था सुचारु नहीं है।	

(10) [illegible]

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत-मोमिर
पं.स. कोटपूतली-बहरोड़, जिला-जयपुर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत-मोमिर

(6)

आशा पारुल देवी आंगनवाड़ी केंद्र मार्गर II
मो 8955038178
आशा सुमित्रादेवी आंगनवाड़ी केन्द्र मार्गर
8000411625
आशा कवितादेवी आंगनवाड़ी केन्द्र खुवा
mo 5320760152
आशा अमितादेवी आंगनवाड़ी केन्द्र मूंदोल
mo 9510710521
आशा सुगित्रादेवी आंगनवाड़ी केन्द्र मार्गर I
mo 9904917955
आशा सुमित्रादेवी आंगनवाड़ी केन्द्र = वासिला
m. 9509118032
सहायिका मोहनादेवी 7568749285 –

ICDS AWW - मालीदेवी.
9352208538

ICDS AWW ~~रेखादेवी~~
ICDS AWW सुमा देवी 7568733751
ICDS AW रसुलादेवी 7568730167

गरमाराम –
गिरधारी राम गमार
सरपंच
ग्राम पंचायत–मार्गर
पंचा–कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

For T[illegible] Limited
Authorised Signatory

Scanned with OKEN Scanne

ग्राम पंचायत, खजुरिया

पंचायत समिति कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.) 307025

क्रमांक 2022/ SPL.

दिनांक 22/11/2022

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खजुरिया के क्षेत्र मे मेसर्स इलेक्ट्रोनिक नेटवर्क लि. को अपने गाउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों पर मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत लिमिटेड द्वारा लाईन बिछाई जाती है तो ग्राम पंचायत खजुरिया को कोई आपत्ति नही है

अतः यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है

जस्य गॉव [1] कागवाना
[2] कालाखेसर
[3] खजुरिया

विजना राम बुम्बरिया
(सरपंच)
ग्राम पंचायत खजुरिया
प.स. कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खजुरिया
प.स. कोटड़ा, जिला उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक 22/09/2021 को ग्राम पंचायत खजुरिया के राजस्व ग्राम खजुरिया के राजीव गांधी सेवा केन्द्र खजुरिया मे राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान कि को सफल बनाने के लिए एस.डी.एम. को क्रमांक/पंचायत/ए.ग. के सा./2021-22/2008 दिनांक 15/9/21 की पालना मे ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमे उपस्थिता सरपंच महोदयाणी ने की जिसमे निम्न अधिकारी उपस्थित हुए।

1 बिसनाराम तुम्बड़िया सरपंच बिसनाराम
2 दिनेश कुमार मीणा VDO
3 भगीरथराम कटारा ए.टी.ए. P.S.
4 भोजाराम खूंटवलिया G.R.S. भोजा
5 फोजाराम रैबारी प.स.ए. फोजाराम
6 शंकरलाल कुमावत हेड पटवारी

प्रस्ताव सं. 1 मेसर्स टेलीकोलिंक नेटवर्क को नठर ग्रामीण आपटीकल फाईबर लाईन हेतु अनुसूचित जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत वन भूमी के प्रतवर्तन के सम्बन्ध मे फाईबर लाईन बिछाने के लिए ग्राम पंचायत खजुरिया के जो भी राजस्व आते है जिसमे वनविभाग खातेधारी प्रकार की भूमी पर लाईन -

(राजीव गांधी सेवा केन्द्र)

For T... Authorised Signatory

Scanned with OKEN Scanne

विचार जानी है। जिसमें आम सभा में प्रस्ताव लिया गया।

प्रस्ताव सं० 2.(1) डूंगर निर्माण कालाखेड़ा
(2) पुलिया निर्माण गमाणी
(3) एनिकट निर्माण कागवास

प्रस्ताव सं० (3) एनिकट निर्माण खजूरिया
एनिकट निर्माण नाल फला
एनिकट निर्माण गमाणी

प्रस्ताव - (4) (1) सड़क चबूतरा निर्माण महादेव जी के पास के कब्रस्तान
(2) चबूतरा निर्माण गरासिया फला
(3) चबूतरा निर्माण मालाजी के पास कालाखेड़ा

प्रस्ताव (5) 1 सी०सी० रोड मेन रोड से नरशा के घर तक
(2) सी०सी० रोड मेन रोड से सुरेश हाकला के घर तक
(3) सी०सी० रोड मेन रोड भेरूजी सड़क कालाखेड़ा
(4) सी०सी० रोड मेन रोड राणा के घर सड़क।

ग्राम वि० V.D.O

विसना राम गुवरिया
(सरपंच)
ग्राम पंचायत खजूरिया
पं.स. कोटड़ा जिला उदयपुर (राज.)

योगराज
हीरालाल
मंगुदेवी
पुगारदेवी गरासिया प. स. खमुरिया
भोलिया राम कुम्हारिया उप सरपंच

मेहलाराम

गोपीलाल

हंसा

विसना राम कुम्हारिया
(सरपंच)
ग्राम पंचायत खमुरिया
प.स. कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanne

।। सत्यमेव जयते ।।

कार्यालय–ग्राम पंचायत, सामोली

पंचायत समिति-कोटडा,
जिला-उदयपुर (राज.)

भोजाराम
सरपंच
मो. 6377138361

2/SPL.

दिनांक 3.12.2024

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सामोली के परिक्षेत्र में मेसर्स टेलीसोनिक नेटवर्क लि. को आउट ग्राउंड ऑप्टीकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत निविदा द्वारा लाईन बिछाई जाती है तो ग्राम पंचायत सामोली को कोई आपत्ति नही है। अतः यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत सामोली
पं.स.-कोटड़ा, जिला-उदयपुर

सरपंच
ग्राम पंचायत सामोली
पंचायत समिति कोटडा
जिला-उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

ग्रा. प. सोमाली

1. सामोली
2. काडा
3. साडी

ग्रा. प. हुना

1. हुना
2. आम्बा
3. म्यारला
4. तिलारनी
5. काडीकामडी
6. गरी
7. कुलीवाल
8. जलेरी

ग्रा. प. तिलखा

1. तिलखा
2. बेराफली
3. थरीदेवर
4. राफरोखत

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] दिनांक 27/7/2022 को [illegible] कार्यालय [illegible] एवं पंचायत [illegible] के पत्र क्रमांक [illegible] 15 [illegible] 2022 [illegible] 12022/1902 दिनांक 27/7/2022 एवं [illegible] कार्यालय [illegible] के [illegible] दिनांक 25/7/2022 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यों हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन [illegible] कार्यालय [illegible] की अध्यक्षता में [illegible] अधिकारी/कर्मचारी के उपस्थिति की

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	हस्ताक्षर
1			
2			
3	[illegible] कुमारी	सरपंच	
4	[illegible]	उपसरपंच	
5	[illegible]	[illegible] सहायक	
4	बाल्मीकि	वार्ड पंच 7	बाल्मी
5	रेखिया	वार्ड पंच 6	रे स्ना.पा
6	गोकुलकुमार	कनिष्ठ सहायक	

ग्राम सभा मे मुख्य एजेण्डा की चर्चा करते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र मे स्वीकृत प्रधान मंत्री आवास एवं SBM के शौचालयो की जानकारी ग्राम वासीयो से लि गयी साथ ही मनरेगा ग्राम के मुख्य एजेण्डा अनुसार ग्राम वासियो से चर्चा के बाद निम्न प्रस्ताव लिये गये

प्रस्ताव सं० 1 ग्राम पंचायत क्षेत्र मे दिनांक 15 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक सभी घर तथा प्रत्येक प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहराने के उद्देश्य से 2 घर तिरंगा कार्यालय की जानकारी से ग्रामीणो को जागरूक करने का प्रस्ताव लिया गया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया

P.T.O

3771 दि. 4.23

प्रस्ताव सं० 2 - ग्राम सभा में [illegible] चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में [illegible] देखते हुए [illegible] लिखित योजना [illegible] पर किसानों का 1 KVC 15 [illegible] इंस्टॉल कराये जाने का प्रस्ताव [illegible] सर्व सहमति से पारित किया गया

प्रस्ताव सं० 3 ग्राम सभा में चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया की ग्राम पंचायत क्षेत्र में कई वर्षों से इन्टरनेट और मोबाइल नेटवर्क नहीं है जिससे ग्राम के वासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे ग्राम सभा में ग्राम पंचायत क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क लगाने का प्रस्ताव लिया गया जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया तथा साथ ही किसी भी प्रकार की अनियमितता आने के सम्बन्ध में सूचना दी गई

प्रस्ताव सं० 4 ग्राम सभा में चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत सलोली के राजस्व ग्राम खाई में स्थित राउ.प्रा.वि. खाई के आंगनवाड़ी केन्द्र खाई जो कि खसरा नम्बर भूमि में स्थित है जिसे ग्राम आवंटन करने हेतु राजस्व विभाग को भूमि आवंटन करने हेतु प्रस्तावित किया गया जिसे सर्व सहमति से पारित किया गया

Authorised Signatory

ग्राम पंचायत सलोली
पं.स.-कोटड़ा, जिला-उदयपुर

भोजाराम
सरपंच
ग्राम पंचायत सलोली
पं.स. कोटड़ा

PARAMOUNT

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पंचायत बोथिल

आज दिनांक 12/09/2023 को गोमती ग्रामीण विकास संस्था बोथिल की अध्यक्षता में पंचायत सचिव एवं के.के. ग्रा. पंचायत बोथिल के राजस्व ग्राम बोथिल में पंचायत समिति कोटड़ा के आदेशानुसार पत्र क्रमांक एफ 15(47) पंचायत/विविध/वि.ग्रा.सभा/राजस्थान मिशन-2030/2023/456 दिनांक 05/09/2023 के तहत राजस्थान मिशन-2030 के सम्बन्ध में सर्वेक्षण एवं जन कल्याण एप्प कार्ड सर्वे के सम्बन्ध में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

राजस्थान मिशन-2030 को सफल बनाने हेतु जन कल्याण एप्प के माध्यम से आम लोक जन से सुझाव प्राप्त किये गये।

निम्नलिखित कर्मचारी/अधिकारीगण/जनप्रतिनिधिगण ग्राम सभा में उपस्थित हुए।

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1	जसवन्त सिंह गेहलोत	ग्रा.वि.अधि.	[illegible]
2	अमीया देवी	सरपंच	अमीया
3	नारायण बिश्नोई	ESA	[illegible]
4	मेवली देवी	वार्ड पंच (4)	मेवली
5	मीठा लाल	" (3)	मीठा लाल
6	चिन देवी	" (2)	चिनदेवी
7	मोहन लाल	NREGA Mate	[illegible]
8	लक्ष्मी देवी	"	[illegible]
9	Shanti bai	"	[illegible]
10	दुर्गा कुमारी	"	[illegible]
11	ओम प्रकाश	"	ओम प्रकाश
12	हिम्मत जी	आंगनवाड़ी	हिम्मत
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Authorised Signatory

Scanned with OKEN Scanner

(13) हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन गणना एकक सिर

(14) हेमाटोक्रिट हेमाटोक्रिट

(15) वायुदेव वायुदेव

हेमाटोक्रिट

पलिता

रामा

रेखा

सुनीता

रामा

पलिता

रेखा

Authorised Signatory

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव-1) सरपंच महोदय बाग्रेल द्वारा प्रस्ताव है कि ग्राम पंचायत बाग्रेल में तीन राजस्व ग्राम बनाए जा सकते है जैसा कि इन गांवों में प्रत्येक में 1000-1200 परिवार निवास करते है जिससे कि इन गावों के लोगो को फायदा होगा और विकास कार्यों मे प्रगति आयेगी।

① डेंगरी ② बोलामगरी ③ मेना

प्रस्ताव-2) ग्राम वासी बाग्रेल एवं रा.उ.मा.वि. बाग्रेल कर्मचारी गण द्वारा प्रस्ताव है कि रा.उ.मा. वि. बाग्रेल का विद्यालय भवन अति जर्जर हालत में है इसलिए नवीन भूमि आवंटन कर पंचायत कक्ष-कक्षाओं से युक्त नवीन विद्यालय भवन निर्माण करावें,

प्रस्ताव-3) ग्राम पंचायत बाग्रेल के खसरा नम्बर 1762/243 में मेसर्स टेलिसोनिक नेटवर्क लिमिटेड जयपुर द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल की लाइन बिछाई जानी है उक्त कार्य हेतु NOC ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से पारित करती है।

प्रस्ताव-4) 4 हैण्डपम्प निर्माण कार्य पप्पू राम कुसनाराम के घर के पास जूना बाग्रेल का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

अध्यक्ष
सरपंच
ग्राम पंचायत-बाग्रेल
पं.स. कोटडा जि. उदयपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - बाग्रेल
प.स. कोटडा जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय जी,
तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर (राज०)

विषय:- मेसर्स टेलीसोनिक नेटवर्क लि० के द्वारा [illegible] ऑप्टीकल फाइबर बिछाने हेतु अनुसूचित [illegible] और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार कर मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत [illegible] प्रत्यावर्तन के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा [illegible] क्रमांक/राजस्व 2023/602 दिनांक 20/9/2023 [illegible] तहसीलदार (भू० अ०) कोटड़ा के क्रमांक /2023/ दिनांक [illegible] के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि [illegible] कलक्टर महोदयजी उदयपुर द्वारा मेसर्स नेटवर्क लि० के [illegible] में वर्णित ग्राम- मोमेर के आराजी नं. एवं रकबा [illegible] संबंध में श्रीमान मेसर्स टेलीसोनिक नेटवर्क लि० की [illegible] ऑप्टीकल फाइबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित [illegible] मेन रोड खसरा फाज NH927A से कटता होने [illegible] बिछाने हेतु प्रस्तावित है। श्रीमान ग्राम- मोमेर ने [illegible] में से निकाला गया है अतः ग्राम- मोमेर में कोई भी [illegible] खसरा नं. एवं रकबा प्रभावित नहीं होता है। [illegible] रिकॉर्ड देना संभव नहीं है।

अतः सूचना रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में पेश है।

[illegible]
[illegible]/23
प० - मोमेर
(मिथिला कुमार)

Scanned with OKEN Scanne

सेवामें

श्रीमान उपजिलाधिकारी [illegible]

[illegible] कोटा जिला उदयपुर (राज.)

विषय:- मेसर्स टेलीनोर नेटवर्क प्रा. लि. द्वारा [illegible] फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र और [illegible] वन विभाग (वन अधिकारी [illegible]) [illegible] वनभूमि के प्रावधान के संबंध में।

सन्दर्भ:- कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ा जिला उदयपुर (राज.) [illegible] 2023/602 दिनांक 24/9/2023 [illegible] कोटड़ा के [illegible] 2023/ दिनांक 24/9/2023 के क्रम में।

महोदयजी

उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदयजी उदयपुर द्वारा मेसर्स टेलीनोर नेटवर्क प्रा. लि. के प्रार्थनापत्र में वार्तिकाय सम्बन्धी के अवलोकन पर [illegible] किया गया है। इस मामले में श्रीमान मेसर्स टेलीनोर नेटवर्क प्रा. लि. द्वारा [illegible] फाईबर लाईन बिछाने सम्बन्धी जानकारी प्राप्त किये जाने पर [illegible] ग्राम MH 9278 के कोटड़ा से [illegible] आगोर को कोल बिछाने हेतु [illegible] है। श्रीमान सम्बन्धी ग्राम [illegible] रोड के अन्दर उत्तर दिशा में 15 [illegible] है। जो कि लाईन बिछाने में प्रभावित नहीं है। अतः ग्राम पंचायत के अन्तर्गत वन भूमि के [illegible] प्रभावित नहीं होता है। जो कि [illegible] रिकार्ड देना (फर्जी नहीं है) अतः सूचना रिपोर्ट श्रीमान को भेजकर पेश है।

आवश्यक

24/9/2023

उप सरपंच

([illegible])

Scanned with OKEN Scanner

ग्रा० पं० मुकावाली

आज दिनांक 12-9-2023 को सामुदायिक वनाधिकार ग्राम सभा का आयोजन श्रीमान रविन्द्र कुमार गोयली सरपंच महोदय की अध्यक्षता में किया गया जिसमें ग्राम पंचायत के समस्त गांवों में सामुदायिक दावों को लिया गया।

प्र०सं०01 राजस्व ग्राम खांपा के लोगों द्वारा सामुदायिक दावा ग्रा०पं० के दिया गया 3(1)

प्र०सं०02 राजस्व ग्राम भाडावेला के नागरिकों द्वारा सामुदायिक वनाधिकार दावा (3)2 दिया गया।

प्र०सं०03 राजस्व ग्राम खारा के लोगों हेतु सार्वजनिक सड़क व विद्युत पोल की सुविधा हेतु सामुदायिक वनाधिकार 3(2) दिया गया

प्र०सं० 04 राजस्व ग्राम कुतरमारिया द्वारा सड़क व विद्युत पोल हेतु सामुदायिक दावा (3)2 दिया

प्र०सं० 05 - कार्यालय जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक 3396 दिनांक 5-9-23 के अनुसार मैसर्स टेली लाईन को ग्रा०पं० के राजस्व गांव खांपा, भाडावेला, मुकावाली के खसरा क्रमांक 259/12 502/01, 02 में फाइबर केबल लगाने के कार्य की लाईन बिछाई जाती है। ग्रा०पं० के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया

सरपंच
ग्राम पंचायत मुकावाली
पंचायत समिति कोटड़ा

V.D.O
पंचायत

उपस्थित कर्मचारी

1. रविन्द्र कुमार गोस्वामी - सरपंच — रविन्द्र कुमार
2. शैतान सिंह राव - VDO — Shaitan
3. कपाल कुमार
4. Aminathkumar for Humanas
5. उकमा राम — पंचायत सहायक — उकमा राम
6. कुलवान चंद — " — कुलवान
7. भरत कुमार — " — भरत कुमार
8. विजय सिंह - सुरक्षा गार्ड — विजय
9.

रविन्द्र कुमार
सरपंच
ग्राम पंचायत

For Tata Power Renewable Energy Limited
Authorised Signatory

Scanned with CamScanner

नारायण

नवराज लाल हुलसाड़ा

नि रमा

नि० विजय

नि० विजय

अरविंद कुमार

नि० मोहन

नि० सोमा

नि० लक्ष्मा

नि दिनाना

नि० रामा

नि० रामा

नि० कुंकी

Scanned with OKEN Scanner

नि० कुल्ला

नि० कोल्ला नि० राम

नि० गोविन्द

लोला

दिनेश

नि० कोल

नि० झमा

नि० उमेश

नि०

करठा

नि० मोला

नि० रामा

काला

नि० मामा

नि० लाला

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक 12.10.2023 को ग्राम पंचायत खजुरिया मे राजीव गांधी सेवा केन्द्र खजुरिया मे ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सरपंच विजना राम बुम्बरिया द्वारा किया गया।

ग्रामसभा मे निम्न प्रतिनिधि कर्मचारी उपस्थित रहे

1. विजनाराम सरपंच
2. डिनेश कुमार मीना VDO
3. भोला राम बुम्बरिया ARS.

प्रस्ताव 1 DPR खजुरिया

ग्राम खजुरिया मे सर्व सम्मति से निर्माण एवं रखरखाव हेतु सर्व अनुमोदन से पारित किया गया

प्रस्ताव 2 DPR कागवाड

ग्राम कागवाड मे स्वच्छता हेतु एवं नाली निर्माण हेतु सर्व अनुमोदन से पारित किया गया

प्रस्ताव 3 DPR कालाबेर

ग्राम कालाबेर मे सर्व अनुमोदन से स्वच्छता एवं नाली निर्माण कचरा निस्तारण पर सर्व सहमति से पारित किया गया

4. ग्राम पंचायत खजुरिया व ग्राम कागवाड (मुमानी) सामुदायिक केन्द्र कमेटी का अनुमोदन सर्व सहमति से पारित किया

प्रस्ताव 5 खसरा संख्या 228/8 समस्त खसरे मे टेलीकॉम नेटवर्क लिमिटेड जयपुर द्वारा अधिकृत आईबर केबल लाईन हेतु ग्राम मे मे सर्व अनुमोदन से पारित किया गया है

मोहन

आयवा

रेखा

कविता

जोसीना

नीता

शंकर

जीता

दुर्गा

हरिप्रसाद

रेखा

नेविया

जोरा

रेखा

रेखा

शीला

शंकर

जोखी

दिवा

मोहिनी

मोहन

विश्वनाथ

आज दिनांक 12/09/23 को ग्राम पंचायत कोदरमाल पर राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

सरपंच महोदया श्रीमति अलका देवी कि अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा में राजस्थान मिशन 2030 के लिए ग्राम सभा में उपस्थित लोगों के सुझाव पत्रों का संकलन किया गया।

ग्राम सभा में उपस्थित अधिकारी गण और पंच - पतिगण रहे :-

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
01.	अलका देवी	सरपंच	अलका सरपंच ग्राम पंचायत-कोदरमाल पं.स.-कोटड़ा
02	दलेल कुमार	VDO	ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कोदरमाल पंचायत समिति कोटड़ा जिला-उदयपुर
03	तारी देवी	वार्ड पंच - 02	
04	मांडी बाई	—"— - 03	
05	शारदा	—"— 06	शारदा देवी

ग्राम सभा में निम्न लिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए :-

प्रस्ताव सं. 01 :- मूरिया पुत्र मांगलाल नि. सांसर कोदरमाल, कोटड़ा वर्ष 2019-20 में Pmay में आवास स्वीकृत हुआ था, जिसका रजिस्ट्रेशन RJ3665539 है दि. 15/12/2020 को मूरिया कि मृत्यु हो जाने के कारण आवास का कार्य अपूर्ण रह गया। आवास कार्य पूर्ण करवाने हेतु उनकी पत्नी सखी देवी के नाम पर आवास संशोधन करवाने का प्रस्ताव ग्राम सभा में सर्व

For Tejas Housing Finance Limited
Authorised Signatory

Kamal

सदस्यों से लिया गया।

नाम :- गंगी देवी w/o मूरिया
आधार :- 2841 8375 01888
A/c :- 0749001700114150 (PNB)

प्र. सं. 02 :-

ग्राम सभा में उपस्थित महोदया द्वारा वनाधिकार कमेटी के बारे में बताया गया।
ग्राम सभा में सर्वसम्मति से गांव - कोदरमाल (कोदरमाल) में वनाधिकार कमेटी का गठन किया गया।

क्र.सं.	नाम	ग्राम	मोबाइल	पद
01.	अणदाराम	कोदरमाल	8769291886	अध्यक्ष
02.	नीरज कुमार	—"—	8107870884	कोषाध्यक्ष
03.	वक्तूराम	—"—	8290843298	सचिव
04.	बंशी लाल	—"—	7073215179	सदस्य
05.	मोहन लाल	—"—	9664013738	—"—
06.	माना राम	—"—	8824712411	—"—
07.	संगीता देवी	—"—	9509039213	—"—
08.	रमीया देवी	—"—	7357213421	—"—
09.	मार्ग देवी	—"—	9509039213	—"—
10.	मंजू देवी	—"—	8769291886	—"—

सामुदायिक वनाधिकार विशेष अधिनियम 2023 पूर्व एवं अब तक अधि की धारा 3(1) के अंतर्गत सभी सामुदायिक हक पत्रों की वन प्रबंधन समितियों के गठन की सूचना।

Authorized signatory

प्र.सं. 03 :-

ग्राम सभा में निम्नलिखित कार्य करवाने के प्रस्ताव आए :-

क्र.सं.	नाम कार्य	गांव	अनु. राशि (लाख में)
01.	कला के घर से उदारा तक L 6 K.M.	कोदरमाल	15.00

प्र.सं. 04 :-

प्रत्येक ग्राम में दुग्ध डेयरी प्रस्तावित किए जाए।

प्र.सं. 05 :- कार्यालय जिला कलेक्टर के आदेश क्र. 1336 दि. 05/09/23 के अनुसार मैसर्स डेल्टा सोलर्स के द्वारा ग्राम पंचायत कोदरमाल में कोई प्रोजेक्ट लगाए है तो ग्राम प. कोदरमाल में कोई आपत्ति नहीं है

For [illegible] Limited

Authorised Signatory

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कोदरमाल
पंचायत समिति कोटड़ा
[illegible]

सरपंच
ग्राम पंचायत–कोदरमाल
पं.स.–कोटड़ा [illegible]

Kamal

प्रियंका

रघुराम

अशोक

यादव

रामश्री

हामीरा

कालू

सवा

बाई

रामकुमार

मोदिया

धारा

दिया

रमा

रामपत

दिया

सुख

दिनांक
12/9/2023

विशेष ग्राम सभा का गठन

ग्राम पंचायत गुरा में आज दिनांक 12/9/2023 को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के परिपत्र 23 दिनांक 08/09/2023 के अनुसार राजस्थान मिशन लाइवलीहुड 2030 के अंतर्गत एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

उक्त ग्राम सभा में निम्न कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे।

क्रमांक	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री लक्ष्मीलाल पाटीदार	सरपंच	[illegible]
2	कृष्ण कुमार मीणा	[illegible]	[illegible]
3	इन्द्रा देवी	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	[illegible]
4	कैलाशचन्द्र	वार्ड	[illegible]
5	सुरेश कुमार	वार्ड	[illegible]
6	नारायण	वार्ड	[illegible]
7	सोनू देवी	वार्ड	[illegible]
8	पिन्टू देवी	वार्ड	[illegible]
9	इन्द्रा देवी	वार्ड	[illegible]

सरपंच
ग्राम पंचायत गुरा
प.स. कोटड़ा जि. उदयपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ...
प.स. कोटड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

(1) कार्यालय जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक 3396 दिनांक 5/9/23 के अनुसार मैसर्स टेलीसोनिक मेटर्स द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य कराया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ती नहीं है

(2) ग्राम पंचायतो को सारा कार्य FFC मे दिया जाए और लेबर फार्म मेरेगा से कराया जावे।

(3) प्रत्येक गांव का छोटा कार्य का सर्वे होवे

(4) प्रत्येक गांव मे दुध डेयरी होवे।

सरपंच
ग्राम पंचायत गूंरा
प.स. कोटडा जि. उदयपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
प.स. कोटडा जि. उदयपुर (राज.)

प्रियंका

सवाराम

अशोक

यादव

हामीरा

कालू

सवा

मोहन

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पं.स. कोटड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

सरपंच
ग्राम पंचायत गुँरा
प.स. कोटड़ा जि. उदयपुर (राज.)

रामती होमा

सर्वादेवी

रमेश

वादिरा राईया उदा

रामाराम

दिलराम

उगना उगनी

उगना

उपनदेवी

रमादेवी

दिलेराम महिन

डूंगी

दिलराम

रमेश

रमेश

दिलराम

सरपंच
ग्राम पंचायत गुरस
पं.स. कोटडा जि. उदयपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
पं.स. कोटडा जि. उदयपुर (राज.)

राजस्थान सरकार

Tel. No. 0141-2221571

Website: www.health.rajasthan.gov.in/ Email: rsmssl@gmail.com

सूचना निविदा सूचना सं० 10/2023-24

दिनांक 04.2024 से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं एवं अधिक जानकारी RSMSSL द्वारा जैसे पोर्टल, राज. सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (Rate Contract) आदि के लिए सूचना निविदा प्रपत्र विवरण SPPP.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

CBN NO.: E5523246GO0000098

DIPR/C/2736/2024

(डॉ० अनिल अग्रवाल)
निदेशक एवं महा प्रबंधक

E-Procurement Notice

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

HIMACHAL PRADESH STATE ROADS TRANSPORT CORPORATION

REQUEST FOR SEMI-OPEN

(Two-Envelope Bidding Process with

National Open Competitive Process

Name of the project: Construction of Balance Cantilever Bridge at Sarthal

The Tender Project: HPRDCL Nerwa Bypass Nigam Vihar Quarter Governor of Himachal Pradesh invites online bids for the construction of the

Name of Work	Bid Security (Rs.)	Cost of Document (Rs. incl. GST)	Period of Completion
Construction of Balance Cantilever Bridge at Sarthal in Lot-01 (HP)	Bid Security INR 64,00,130/-	Rs. 5,900/-	24 months

The Document Required for Bids (RFB) Notice Inviting Documents alongwith https://himachalpwd.nic.in/tender/RFS/RFS.html & https://hptenders.gov

Note:- Any further addendum/corrigendum to the Request for Bids (RFB) Notice official web site of HPRDCL under https://himachalpwd.nic.in/tender/RFS

1421/HP

GOVERNMENT OF ODISHA

OFFICE OF THE CHIEF CONSTRUCTION ENGINEER CUTTACK (R&B) CIRCLE, CUTTACK

E-mail ID- cecctc 2006@yahoo.co.in

Tel/Fax - 0671-2301515/2502751

('e' - PROCUREMENT NOTICE)

Bid Identification No.CCE, Ctc. (R&B) 40/2023-24 Identification No.

1. The Chief Construction Engineer, Cuttack (R&B) Circle, Cuttack on behalf of Governor of Odisha invites on Percentage rate tender online system in GFR (For details visit https://tenderodisha.gov.in) from eligible contractors for Road and Building work as mentioned below

1. No. of work	(1) No.
2. Nature of work	(1) Building work
3. Class of contractor	(1) A & Special Class
4. Earnest money	(1) Rs. 1000/- (online)
5. Available of bid documents	(1) From 12.03.2024 to
6. Sale methods	(1) 18 hours of 19.04.2024
7. Time of opening of bid	(1) On 04.2024 at 11.00 hours

8. The Bidders have to participate in GFR 2017 bidding only. Further details can be seen from the website https://tenderodisha.gov.in. Any addendum / corrigendum / cancellation of tender can also be seen in the said web site.

Sd/-

Chief Construction Engineer,
Cuttack(R&B) Circle

CCE/R-14012/11/007/2024

KALYANA KARNATAKA ROAD TRANSPO

Stores & Purchase Department, Ce

Sangle Sadana, Main Road, Kalaburag

Tel. & Fax No. 08472-260502, Mobile No. 77606 88172

No. KKT/COR/CGSP/14/2023-24

NOTICE INVITING TENDER (THROUGH

Tenders through KPP portal (pre-qualification & com following items.

No. & date	Tender nomenclature	V C
A-35-07.03.24	Procurement Air Filters, Fuel Filters & Oil Filters	
A-36-07.03.24	Procurement of Brake Linings and Clutch facings with Brass rivets	

All the details of Tender Registration, Tender form https://kppp.karnataka.gov.in Mail to cosgnwrtc@gmail.com for further information if required. Further, any addendum / in terms and conditions of tender, specification and calendar only through KPP portal.

Sd/- Controller (Tender

DIPR/Kalaburagi/996/KSMC&A/2023-24

राजस्थान सरकार
वन विभाग

भीलवाड़ा

क्रमांक : 1675/वन/2022 जयपुर, दिनांक: 24.JUN.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.666 ha. of forest land in favour of Telecom Networks Limited for laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELEMONIC CONNECTIVITY in Samoli, Near Sri Nath, The Sara, Kaghwas, Sabra Sabri, Sawai ka Kyara to near Gada and Mamer in Bhilwara District Gujrat Border in Udaipur North Forest Division. (PP ID/OFF 10054/2021)

सन्दर्भ: 1. प्रधान वन संरक्षक पत्र 14 (OFF 2022) संरक्षण/प्रस्ताव/1971 दिनांक 06.06.2022

प्रस्तुत विषयान्तर्गत सहमति प्रस्ताव में Telecom Networks Limited (प्रस्ताव अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य सहमति के साथ पत्र 1 में OFC Cable Line हेतु 0.666 हेक्टेयर वन भूमि उपलब्धता की सहमति चाही गई है। सेवारत अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पत्र 2 में सशर्त सहमति बाबत भारत सरकार दिनांक 21.07.2020 के परिपत्र में Diversion of 0.666 ha. of forest land in favour of Telecom Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELEMONIC CONNECTIVITY in Samoli, Near Sri Nath, The Sara, Kaghwas, Sabra Sabri, Sawai ka Kyara to near Gada and Mamer in Bhilwara Gujrat Border in Udaipur North Forest Division. की वैधानिक सहमति किए जाने के पश्चात सहित किए जाने के प्रावधानों पालन करने है। 1. उक्त भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रस्तावित वन भूमि का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। 3. सरकार विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान भारत सरकार के वन की कार्यवाहियों एवं वीन अन्य का किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किये जायेंगे। 4. प्रस्तावित वन में रोपण किया जाने वाले वन की पूर्ण वन विभाग की किसी एजेंसी के माध्यम से करवाने होगा उक्त वन में रोपण एवं पौधारोपण होने पर वन विभाग के होंगे। 5. प्रस्तावित अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थान/क्षेत्रों के अलावा वन प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार का डिम्प नहीं लगाया जायेगा। 6. प्रस्तावित अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान मलबा एवं कार्यस्थल कचरा/उत्पाद को उचित निपटानीकरण की व्यवस्था की जायेगी, यदि निकटवर्ती नदी का भूमि 6.10.1 प्रस्तावित अभिकरण द्वारा प्रस्तावित कम्पनी के अतिरिक्त अन्य उपयोग की अनुमति दे या विभिन्न कार्य के दौरान निर्माणकार्य कराने या करने का कार्य नहीं किया जायेगा। 8. प्रस्तावित अभिकरण उपरोक्त एवं अतिरिक्त 2 कार्य या अन्य नहीं किया, कानून तथा किए निर्देशों का पालन करेगा। 9. प्रस्तावित अभिकरण वैधानिक अधिकारियों की पालना के साथ उक्त अन्य 10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रावधान संबंधित संवैधानिक, वन एवं पर्यावरण संरक्षण, भारत सरकार द्वारा किया का संशोधन। 11. वन संरक्षण के पत्रांक F-23/2012 (संरक्षण) दिनांक 24.07.2012 के अन्तर्गत दीर्घ दिनांक 07.11.2012 का पालन निर्माण की पालना प्रस्तावक के अधिकारियों की जवाब तथा प्रस्तावक ने जारी अधिसूचना का पालन एवं जारी अधिसूचना की प्रतिलिपि स्थानीय निकाय, [illegible] एवं अनुसूचित के राजकीय अधिकारियों को अधिसूचित प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय (डी. [illegible])

CIDCO
WE MAKE CITIES

NOTICE INVITING BID

GOVERNMENT OF OD

OFFICE OF THE CHIEF CONSTRUC

CENTRAL RURAL WORKS CIRCLE

O-2785

No. [illegible] Date 09-03-2024

"e" Procurement Notice for Bridge

1. Name of the Work	[illegible]
2. Total No. of works	[illegible]
3. Estimated Cost of the work	[illegible]
4. Class of Contractor	[illegible]
5. Estimated cost more than Rs. 1.00 Crore up to Rs. 20.00 Crores	A Class or Odisha [illegible]
6. Estimated cost more than Rs. 6.00 Crore up to Rs. 30.00 Crores	Special Class or Odisha [illegible]
7. Period of completion	As mentioned in Cl [illegible]
8. Offered rates by bidder	[illegible]
9. Other details	[illegible]

Procurement Officer	Bid Identification No.	Availability of Tender On-line for bidding	
		From	To
1	2	3	4
Chief Construction Engineer, Central Rural Works Circle, Bhubaneswar	Tender Online C.E. 13 of 2024	15.03.2024 at 11.00 AM	30.03.2[illegible] up to 5

Further details can be seen from the web site www.tenderodisha.gov.in

[illegible]

IDFC First Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC Fir

CIN : L65110TN2014PLC097792

Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600

Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

का विमोचन

वाददाता

यात्रा पर जाने वाले
16 मार्च तक
के पास राधे राधे जन
भंडारा लगाया
तुक संप्रदाय आचार्य
री शरण महाराज ने
या। इस अवसर पर
प्रवीण बड़े भैया, धर्म
ख भी मौजूद रहे। राधे
के अध्यक्ष योगेंद्र
र्ष से लगातार
कैनरा बैंक के सामने

उपचार की दवाइयां भी
भजन संध्या भी होगी।
रवार के रोहित अग्रवाल,
अनिल कीकिल्य सहित
ए देंगे। पोस्टर विमोचन
त ध्वजाधीश गणेशजी
स्थित काले हनुमानजी

मस्ती की पाठशाला के बच्चों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

महानगर संवाददाता

जयपुर। श्रीराम सेवा संगम समिति की ओर से संचालित मस्ती की पाठशाला से दिशाहीन एवं वंचित बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के बाद बच्चों के परिवारों को लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से रोजगार देने का कार्य शुरू किया गया है। मस्ती की पाठशाला के मानसरोवर स्थित मैदान में एक प्रदर्शनी लगाकर कपड़े एवं मिट्टी की बनी वस्तुओं की बिक्री की गई। इस मौके पर बच्चों ने प्लास्टिक, स्वच्छता एवं भ्रष्टाचार पर कविता एवं भाषण से लोगों के समक्ष अपनी भावनाएं रखीं। जवाहर कला केंद्र और मानसरोवर में अलग-अलग स्थान पर इस तरह की प्रदर्शनी लगाकर रोजगार के साथ राष्ट्रीयता का संदेश दिया गया। समिति ने लोगों को मातृभूमि और गौमाता की रक्षा के लिए प्लास्टिक एवं भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प करवाया।

कार्यक्रम में आए लोगों को कपड़े एवं मिट्टी की वस्तुओं का इस्तेमाल करने का आग्रह किया गया, जिससे प्लास्टिक से बचकर राष्ट्र को स्वस्थ और स्वच्छ बना सकें।

समिति फाउंडर अनुज श्रीवास्तव ने सभी लोगों को अभियान से जुड़ने की अपील की। मस्ती की पाठशाला की निदेशक मीनाक्षी श्रीवास्तव ने महिलाओं को इन सामग्रियों की आदत डालने का आग्रह करते हुए आभार प्रकट किया।

बिहार समाज संगठन का सदस्यता अभियान शुरू

महानगर संवाददाता

जयपुर। बिहार समाज संगठन की ओर से सदस्यता अभियान की शुरुआत सोमवार से की गई। बैनाड रोड पर आयोजित बैठक में संगठन की कोर कमेटी

के सदस्यों एवं साधारण सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से विभिन्न निर्णय पारित किए। संगठन के मीडिया चेयरपर्सन पुरुषोत्तम झा ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत विभिन्न ब्लॉक स्तर से सदस्यता अभियान के साथ की जाएगी, जिसमें बिहार के रहवासी लोगों को जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर जयपुर जिला पश्चिम का अध्यक्ष बजरंगी झा को सर्वसम्मति से नियुक्त किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार शर्मा, महासचिव चंदन मंडल, उपाध्यक्ष शशि शंकर झा, एसके सिन्हा, विकास कुमार शर्मा, संतोष झा, ललित नारायण, सुधीर कुमार मिश्रा, पंकज झा, संजय कुमार डागी, दिवाकर राय, राजेश राय शर्मा, संजय कुमार झा समेत अन्य सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

ारी में कल से
दूश्यामजी की
ओं की धूम

गर संवाददाता

र 15 को दो दिन खाटूधाम की
इन दो दिनों में एक दर्जन से अधिक
पदयात्री खाटू के लिए रवाना होंगे।
कर रोड पर रींगस-खाटूश्यामजी जैसा
सीकर रोड से रोजाना पदयात्राएं गुजर
टोंक फाटक से पदयात्रा रवाना हुई।
आधा दर्जन पदयात्राएं रवाना होंगी।
और सबसे बड़ी पदयात्रा 15 मार्च को
टियों का खुर्रा स्थित श्री श्याम प्राचीन
पदयात्रा संयोजक अशोक मिश्रा और
ना ने बताया श्री श्याम सत्संग मंडल
त्रा मंदिर महल प. लोकेश मिश्रा के
। पदयात्रा की खास बात यह रहेगी कि
हीं चांदी के रथ में विराजमान रहेंगे।
को खींचेंगे। पदयात्री 15 मार्च को
17 को गोविंदगढ़, 18 को रींगस होते
धाम पहुंचेंगे।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प 1 (67) वन/2022 जयपुर, दिनांक: 24 JUN 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY in Samoli, Near Sei Nadi,Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber Gujrat Border in Udaipur North Forest Division. (FP/RJ/OFC/150256/2021)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (OFC)2021/एफसीए/प्रमुवस/1931 दिनांक 06.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Telesonic Networks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.606 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.606 ha. of forest land in favour of Telesonic Networks Limited for Laying of OFC CABLE BLOWING WORK FOR TELESONIC CONNECTIVITY in Samoli, Near Sei Nadi,Tin Sara, Kagwas, Subra Subri, Sawan ka kyara to near Guda and Mamer to Bhoori Dheber Gujrat Border in Udaipur North Forest Division की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है:- 1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। 4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। 5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनखंड के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। 8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 10. राज्य सरकार द्वारा ही गई इस अनुमति का प्रावधान संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को पूरा पब्लिशी किसी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अखबार प्रकाशित कराने एवं जारी स्वीकृति की प्रतिया स्थानीय निकाय, पंचायत एवं पंचायतिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय (डी. प्रवीण) शासन सचिव

RajCOMP Info Services Limited (RISL)
C-Block, 1st Floor, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur.

RISL द्वारा निम्न ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है

NIB No./ Date/ Unique Bid No.	Particulars	Estimated Cost/EMD	Start of sale /Last date
1082/07.03.24/ (RIS2324SLOB00107)	RFP for Hiring of Services for Operational & Maintenance activities at LIC building, Jaipur	Rs.14.25 Lakh/ Rs.28,500/-	13.03.2024/ 27.03.2024

विस्तृत जानकारी हेतु इस वेबसाईट पर सम्पर्क करें http://rsl.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in, http://doitc.rajasthan.gov.in and http://eproc.rajasthan.gov.in

Raj.Samvad/C/23/14687 Executive Engineer (Electrical), RISL

Rajasthan State Road Development And Construction Corporation Ltd., JAIPUR
निविदा सूचना/2023-24

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु.)	निविदा शुल्क राशि
SITC of HVAC, Fire Fighting, Lift, MGPS, External Electrical work etc. of Medical Hospital, Banswara. UBN (1) RRC2324WLOB01510	1410.00 Lakh	[illegible]
External Electrical work, HVAC & Lift work at Medical College & Upgradation of Hospital at Dausa. UBN (2) RRC2324WLOB01501	996.05 Lakh	
External Electrical work, HVAC & Lift work & Fire Fighting work at Bundi & Baran. (02 No. work) UBN (3) RRC2324WLOB01502 (4) RRC2324WLOB01503	1954.42 Lakh	
SITC of HVAC, System work for Medical College & attached Hospital at Churu. UBN (1) RRC2324WLOB01504	530.00 Lakh	[illegible]
External Electrical work, Elevator work, SITC of High Side Electrical, Cabling and Lift work in various Building at Hospital District, Churu. (02 No. work) UBN (1) RRC2324WLOB01511 (2) RRC2324WLOB01512	2193.00 Lakh	[illegible]

[illegible] http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.nic.in [illegible] http://rsrdc.rajasthan.gov [illegible] http://eproc.rajasthan.gov.in [illegible]

No. NIT/2023-24/30422-35